Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2336 / 12-1(1) दिनांक, देहरादून, 09, जून, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/SCH/40755/2019 ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि का नवींनीकरण के प्रस्ताव के संबंध में।**

संदर्भः– **आपका कार्यालय पत्रांक 2451/FP/UK/SCH/40755/2019 दिनांक 24.03.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या–FP/UK/SCH/40755/2019 पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 4794/12–1 दिनांक 19.05.2021 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है –

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान विद्यालय भवन वर्ष 1978 में आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश द्वारा फैक्ट्री एवं टाउनशिप के निर्माण के साथ ही बनाया गया था।
2. केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश के भवन नवींनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए वर्तमान में संचालित विद्यालय की भूमि ही प्रस्तावित की गयी है, जो उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु सर्वदा उपयुक्त है, क्योंकि यह प्रतिपादित केन्द्रीय विद्यालय नियमों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि (5 एकड़ अर्थात 2.10 है0) के नियम को पूर्ण करता है, जिसके अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त विद्यालय वर्ष 1978 से वर्तमान तक इसी भूमि पर संचालित हो रहा है।
3. उक्त चयनित वन भूमि पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न गतिविधियों को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है :–
   - वर्तमान में यह विद्यालय दो सेक्शन में संचालित है, जिसको चार सेक्शन में परिवर्तित किया जाना है।
   - विद्यार्थियों के खेलकूद गतिविधियों हेतु मुक्त व्यायामशाला, फुटबॉल खेल मैदान, बॉलीबॉल कोर्ट, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ–साथ क्रिकेट मैदान का भी निर्माण।
   - बहुउद्देशीय भवन, कम्पोजिट पिट, मैथमेटिक्स गार्डन, चिल्ड्रन्स पार्क, प्रार्थना सभा मंच/स्थल व विद्यालय कैन्टीन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य विविध गतिविधियों का विस्तारीकरण।

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार आख्या की विवेचना/परीक्षण करने के उपरान्त संज्ञानार्थ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा पूर्व में निर्गत ई0डी0एस0 के प्रस्तर–2 के अनुसार जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र में 4 एकड़ अर्थात 1.62 है0 पर विद्यालय का निर्माण किये जाने की अनुमति दिये जाने पर विचार करने का प्रश्न है तो अभिकथित विद्यालय के उक्तानुसार विस्तारण

P.T.O.-2-

हेतु प्रस्तावित गतिविधियों हेतु यह भूमि पर्याप्त नहीं होगी, फलस्वरूप वर्तमान में संचालित विद्यालय की 2.41 है0 भूमि का चयन किया गया है, जिसका अन्य कोई विकल्प (**पूर्व में किये गये वैकल्पिक संरेखण की प्रमाणित प्रति संलग्न है**) उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्तानुसार तथ्यात्मक विवरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अखिलेश तिवारी)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक 2336 / 12-1(1) **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश तिवारी)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।